शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : सुश्री भावना गौड़.

दिनांक : 26.03.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 301

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि डी.डी.ए कॉलोनियों में मास्टर प्लॉन 2021 का उल्लंघन हो रहा है;	**<u>दिल्ली विकास प्राधिकरण</u>** यह सत्य नहीं है। **<u>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम</u>** जो कॉलोनियां दिल्ली विकास प्राधिकरण से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को स्थानान्तरित की जा चुकी हैं उन कॉलोनियों में यदि कोई भवन मास्टर प्लान–2021/भवन उप–नियमों के उल्लंघन में पाया जाता है तो उस भवन विरूद्व दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार कार्यवाही की जाती है। **<u>पूर्वी दिल्ली नगर निगम</u>** डी.डी.ए. द्वारा विकसित कॉलोनियों में भवन निर्माण करने से पूर्व नक्शा स्वीकृत कराना आवश्यक है। डी.डी.ए. से नगर निगम को कॉलोनी ट्रांसफर होने के बाद नगर निगम नक्शा स्वीकृत करता है तथा इससे पहले डी.डी.ए. ही नक्शा स्वीकृत करता है। कॉलोनी ट्रांसफर होने के बाद भवन निर्माण में मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर नगर निगम द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।
ख	क्या डी.डी.ए. की कॉलोनियों में भवन निर्माण हेतु नक्शा पास करवाना जरूरी है;	**<u>दिल्ली विकास प्राधिकरण</u>** भवन निर्माण हेतु नक्शा पास करवाना जरूरी है। **<u>उत्तरी दिल्ली नगर निगम</u>** जी हां। **<u>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम</u>** जी हां। **<u>पूर्वी दिल्ली नगर निगम</u>** उपरोक्त 'क' के अनुसार।
ग	क्या ये नक्शे दिल्ली नगर निगम द्वारा पास किए जाते हैं;	**<u>उत्तरी दिल्ली नगर निगम</u>** जो कॉलोनियां दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम को स्थानान्तरित की जा चुकी हैं उन कॉलोनियों का नक्शा उ.दि.न.नि. द्वारा स्वीकृत किया जाता है। **<u>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम</u>** जो कॉलोनियां दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को स्थानान्तरित की जा चुकी हैं उन कॉलोनियों का नक्शा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वीकृत किया जाता है। **<u>पूर्वी दिल्ली नगर निगम</u>** उपरोक्त 'क' के अनुसार।

घ	क्या यह भी सत्य है कि डी.डी.ए. स्वीकृत कॉलोनियों में भी बिल्डर के सहयोग से मकान बन रहे हैं;	**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** यदि कोई भवन मास्टर प्लान–2021 / भवन उप–नियमों के उल्लंघन में पाया जाता है तो उस भवन विरूद्व दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार कार्यवाही की जाती है। **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** नक्शा स्वीकृत कराते समय मालिक को बताना होता है कि उसका किसी बिल्डर से भवन निर्माण के लिए इकरारनामा है कि नहीं।
च	क्या यह सत्य है कि एक ही फ्लोर पर सारी सुविधाएं देने के लिए सारा एरिया कवर किया जा रहा है;	**दिल्ली विकास प्राधिकरण** इस विभाग द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया जाता । **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्त 'घ' के अनुसार। **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** मास्टर प्लान 2021 के अनुसार किसी भी फ्लोर पर अधिकतम फ्लोर एरिया निर्धारित है। इस सीमा का उल्लंघन पाए जाने पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है।
छ	क्या यह सत्य है कि नियमानुसार डी.डी.ए. स्वीकृत कॉलोनियों में घर के बाहर का हिस्सा कवर नहीं किया जा सकता; और	**दिल्ली विकास प्राधिकरण** इस विभाग द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया जाता । **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** जो कॉलोनियां दिल्ली विकास प्राधिकरण से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को स्थानान्तरित हो चुकी हैं उन कॉलोनियों में सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं है यदि ऐसा कोई मामला विभाग के संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** किसी भी कॉलोनी में घर के बाहर सड़क पर कुछ भी निर्माण नहीं कर सकते ।
ज	क्या यह भी सत्य है कि अधिकांश लोगों ने अपने घर के बाहर का हिस्सा कवर करके बाकायदा ग्रिल लगाकर पक्की पार्किंग बना ली है?	**दिल्ली विकास प्राधिकरण** इस विभाग द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया जाता । **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्त 'छ' के अनुसार। **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** घर के बाहर सड़क पर इस तरह का निर्माण पाए जाने पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है।

R.S. Parmar
Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat